BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

IN THE MATTER OF

O.A. NO. 63 OF 2025 / EZ

DINESH KUMAR SUMAN .... APPLICANT

VS

THE STATE OF BIHAR & ORS. -----RESPONDENTS

INDEX

Sl. no.	Annexure	Particulars	Page no.
1		A counter affidavit on behalf of Respondent No. 04.	1-7
2	A	True photocopy of the letter bearing letter no. 73 dated 16.01.2025 of the Divisional Forest Officer, Saran Forest Division	8-14
3	B	True photocopy of the Notification dated 25.01.2022 issued by the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar	15-18

WELFARE STAMP
बिहार BIHAR
पच्चीस रुपये Rs. Twenty Five
BRECR003C250700067170
23 Jul 2025

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA
IN THE MATTER OF
O.A. NO. 63 OF 2025 / EZ

DINESH KUMAR SUMAN ……. APPLICANT

VS

THE STATE OF BIHAR & ORS. ………. RESPONDENTS

COUNTER AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 4, MEMBER SECRETARY, BIHAR STATE WETLAND AUTHORITY, PATNA, BIHAR.

I, S. Chandrasekar, aged about 48 years, Son of Mr. S. Subramani, Resident of No. 3, Aranya Awas, Patna-14, Bihar do hereby solemnly affirm and State as follows:

1. That I am presently posted as Chief Conservator of Forest-cum-State Nodal Officer-cum- Member Secretary, Bihar State Wetland Authority under the Department of Environment, Forest and Climate Change, Patna, Bihar. I am competent to file the present counter affidavit on behalf of the answering respondent. I am aware of the facts of the present case that I

believe to be true. As such, I am competent to depose the present counter affidavit.

2. That the Haldia Chaur water body is located to the West of Mattkara Village, Tarwa Mangapal, Dariyapur Block in the Saran District in Bihar. This is a natural water body spread over an area of 37.714 hectare on the government land.

3. That, as approved by the Bihar State Wetland Authority in the meeting dated 09.09.2024, the notification of the Haldiya Chaur as 'wetland' under the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017 is under the process for publication in the official gazette.

4. That regarding the allegation of poaching of migratory birds, it is stated that vide letter no. 621 dated 20.11.2024 of the Chief Conservator of Forest-cum-State Nodal Officer, Environment and Climate Change, Bihar addressed to the concerned Divisional Forest Officer, Saran Forest Division, Chapra has forwarded the complaint made by the Applicant (Sh. Dinesh Kumar Suman) for necessary action.

5. That vide letter no. 73 dated 16.01.2025 the concerned Divisional Forest Officer, Saran Forest Division has reported to the District Magistrate, Saran District, Chapra (Respondent No. 2) that after conducting surprise patrolling on 15.11.2024 and

NOTARY
A.K. LAL
Distt.-PATNA
Reg No.-18833
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR

13.12.2024 it was found that there was no evidence of poaching of migratory birds as alleged by the complainant/Applicant. A copy of this letter was marked to the Chief Conservator of Forest-cum-State Nodal Officer, Environment and Climate Change, Bihar, Patna (Respondent no. 4).

True photocopy of the letter bearing letter no. 73 dated 16.01.2025 of the Divisional Forest Officer, Saran Forest Division is annexed herewith and marked as **Annexure - A.**

6. That, the Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar vide Notification no. Parya. / Jal./ Pari.- 50/2020 (Khand. - I) - 41 dated 25.01.2022 has notified the constitution of District Wetland Committee with the responsibility to implement the prescribed provisions of the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017 and for the conservation and management of the wetlands in the concerned district, including keeping tab on ownership transfer, to make entry as wetland in the land revenue records, to demarcate with boundary pillars and to check encroachment.

True photocopy of the Notification dated 25.01.2022 issued by the Department of

NOTARY
A. K LAL
Distt.-PATNA
Reg No -18833
Exp.dt.-29.05 2027
GOVT OF BIHAR

Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar is annexed herewith and marked as **Annexure - B.**

7. That, upon publication of the final notification of this water body under reference as 'wetland', in the official gazette, as per the prescribed provisions of the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017 the conservation and management of this water body will come under the Bihar State Wetland Authority through the concerned District Wetland Committee, Saran District, Bihar.

8. That the Chief Conservator of Forest-cum-State Nodal officer, Environment & Climate Change, Bihar has conducted an inspection on 10.07.2025 to randomly verify the allegations made in the instant application. During the said inspection it was found that no poaching of birds was noticed and no one was abstracting water from the water body for fishing. That regarding the tree plantation around the water body, it is submitted that it will be considered after the preparation of Integrated management Plan (IMP) for Haldiya Chaur water body.

9. That in the light of the above facts, at present, no legal intervention is required from the Bihar State Wetland Authority

NOTARY A. K. LAL Distt.:PATNA Reg. No.:1883 Exp.dt.:29.05.2027 GOVT OF BIHAR

in this instant case. The notification of this water body, Haldiya Chaur located to the West of Mattkara Village, Tarwa Mangapal, Dariyapur Block in the Saran District in Bihar, as wetland is being processed for publication in the official gazette.

10. That as was decided by the Bihar State Wetland Authority, tender has already been called for the preparation of Integrated management Plan (IMP) for the conservation and management of this water body, as prescribed in the Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017. During the preparation of the Integrated Management Plan, the requirement for tree plantation, regulation of fishing and water management will be considered as prescribed.

11. Therefore, in the light of the above facts and conservation efforts being undertaken by the Bihar State Wetland Authority, it is humbly prayed that this instant Original Application may be dismissed or the Hon'ble Tribunal may pass an order as deemed fit.

NOTARY
A. K LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-18830
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR

12. That I have read the contents of the affidavit and have understood the same and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT
(S. CHANDRASEKAR)

Identify the Deponent signature/L.I.
who has signed in my presence
BR/1520/2019

VERIFICATION

Verified at Patna on 23rd day of July, 2025, that the averments made in the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and information derived from records of the matter and Annexures are true copy of the original, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT
(S. CHANDRASEKAR).

NOTARY
A. K LAL
Distt.-PATNA
Reg No -18830
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT OF BIHAR
23/7/25

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रमांक/ Enrolment No.: XXXX/XXXXX/XXXXX

Download Date:19/10/2024

To
एस. चंद्रशेखर
S. Chandrasekar
S/O: S. Subramani
450, Thiruvelagam
Asiriyar Nagar
Behind Saw Mill
VTC: Kullampalayam
PO: Kullampalayam
District: Erode
State: Tamil Nadu
PIN Code: 638476

Issue Date:27/02/2015

Signature Not Verified
Digitally signed by
Sandeep Bhardwaj
Date: 2024.10.19
14:51:39 IST

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

XXXX XXXX 4598

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
- सुरक्षित QR कोड / ऑफलाइन XML / ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन से पहचान प्रमाणित करें।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया द्वारा बना हुआ पत्र है।

INFORMATION

- **Aadhaar** is a proof of identity, not of citizenship.
- Verify identity using Secure QR Code/ Offline XML/ Online Authentication.
- This is electronically generated letter.

- आधार देश भर में मान्य है ।
- आधार कई सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं को पाना आसान बनाता है ।
- आधार में मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट रखें।
- आधार को अपने स्मार्ट फोन पर रखें, **mAadhaar App** के साथ।

- **Aadhaar** is valid throughout the country.
- **Aadhaar** helps you avail various Government and non-Government services easily.
- Keep your mobile number & email ID updated in **Aadhaar**.
- Carry Aadhaar in your smart phone – use **mAadhaar** App.

भारत सरकार
Government of India

आधार

Download Date:19/10/2024

एस. चंद्रशेखर
S. Chandrasekar
जन्म तिथि/DOB: 26-06-1977
पुरुष/ MALE

Issue Date:27/02/2015

XXXX XXXX 4598

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
आत्मज: एस. सुब्रमनी, 450, तीरुवेलागम्, असीरियार नगर, सॉ मील के पीछे, कुल्लमपलायम, एरोद, तमिल नाडू, 638476

Address:
S/O: S. Subramani, 450, Thiruvelagam, Asiriyar Nagar, Behind Saw Mill, Kullampalayam, PO: Kullampalayam, Dist: Erode, Tamil Nadu, 638476

XXXX XXXX 4598

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

-8-

136

बिहार सरकार	**कार्यालय– वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा, बिहार. 841301** Phone number: 7858998981 Email- dfosaran@gmail.com	पत्रांक : 73 दिनांक : 16.01.2025

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा0व0से0
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण।

विषय – सारण हल्दिया चवर वेटलैंड से मछली मारने एवं बंदोबस्ती स्थाई रूप से बंद करने तथा मछुआरों एवं शिकारियों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 400–500 के संख्या में प्रवासी पक्षियों के अवैध रूप से शिकार करने के संबंध में।

प्रसंग – आपका कार्यालय पत्रांक– 303 दिनांक– 28.11.2024 तथा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा का पत्रांक– 518 दिनांक– 15.12.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि प्रवासी पक्षियों को मारने से संबंधित परिवाद पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

तद्आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा द्वारा अपने पत्रांक– 518 दिनांक– 15.12.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसमें बताया कि सारण हल्दिया चवर में मछली मारने हेतु मत्स्य विभाग के द्वारा टेंडर जारी किया जाता है जिसके तहत मछली मारने का कार्य किया जाता है। हल्दिया चवर को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रारूप पर आपके स्तर पर अनुमोदन प्राप्त है जिसमें आर्द्रभूमि के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय, बिहार द्वारा विनियमित प्रतिबंधित है। गश्ती दल द्वारा उक्त क्षेत्रों में गश्ती (दिनांक– 15.11.2024, 13.12.2024) किया गया, परंतु प्रवासी पक्षियों के अवैध शिकार से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

16/1/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक – 73 दिनांक – 16.01.2025

प्रतिलिपि– वन सरंक्षक, सीवान अंचल, सीवान/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

16/1/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक – 73 दिनाक – 16.01.2025.

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन, बिहार, पटना का पत्रांक– 621 दिनांक– 20.11.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

कार्यालयः– वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

पत्रांक 578

प्रेषक,

दिनांक 15/12/24

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,
दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी
सारण वन प्रमंडल, छपरा ।

विषय :– सारण हल्दिया चवर वेटलैंड से मछली मारने एवं बंदोबस्ती स्थाई रूप से बंद करने तथा मछुआरों एवं शिकारीयों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 400–500 के संख्या में प्रवासी पक्षियों के अवैध रूप से शिकार करने सबंध में।

प्रसंग :– श्रीमान् का ज्ञपांक 2882 दिनांक 11.12.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में सूचित करना है, कि हल्दिया चवर में मेरे एवं अधिनस्थ के द्वारा स्थलीय गश्ती किया जाता रहा है। पुनः दिनांक 13.12.2024 को गश्ती किया गया । गश्ती के कम में ग्रामीणों द्वारा पूछताछ के कम मे बताया गया कि सारण हल्दिया चवर मे मछली मारने हेतु मत्सय विभाग के द्वारा टेंडर जारी किया जाता है , जिसके तहत् मछली मारने का कार्य किया जाता है। गश्ती के कम मे प्रवासी पक्षियों से संबंधित अवैध शिकार कही नही पाया गया। इस संबंध में ग्रामीण से पूछताछ की गई। मछली मारने एवं बन्दोबस्ती को स्थाई रूप से बन्द करने हेतु मत्सय विभाग से पत्राचार किया जा सकता है। तभी मछली मारने पर रोक लग सकता है।

श्रीमान् को सूचनार्थ समर्पित।

अनुलग्नक– फोटोग्रफी संलग्न ।

विश्वासभाजन

15/12/24

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी
दिघवारा वन प्रक्षेत्र, छपरा।

कार्यालय वन प्रमण्डल पदाधिकारी सारण वन प्रमण्डल छपरा
प्राप्तांक 2904
दिनांक 21-12-

GPS Map Camera
Google
Math Kakara, Bihar, India
Math Kakara, Bihar 841217, India
Lat 25.783393 N Long 85.12759 E
13/12/2024 01:45:11 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Math Kakara, Bihar, India
Math Kakara, Bihar 841217, India
Lat 25.783413 N Long 85.127552 E
13/12/2024 01:52:09 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
Math Kakara, Bihar, India
Math Kakara, Bihar 841217, India
Lat 25.783393° Long 85.12776°
15/11/24 11:38 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Mangarpal Nuran, Bihar, India
Q4xq+5wm, Mangarpal Nuran, Bihar 841217, India
Lat 25.798348° Long 85.139765°
15/11/24 12:11 PM GMT +05:30
Google

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

संख्या–पर्या०/जल०/परि०–50/2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25/01/2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–सा०का०नि० 1203 (अ), दिनांक–26.09.2017 द्वारा "आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017" अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना के आलोक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के विभागीय ज्ञापांक–वन्यप्राणी–16/2012–160 (ई०)/प०व०ज०प०, दिनांक–31.01.2020 द्वारा "बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण" का गठन किया गया।

बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की दिनांक–28.08.2020 में माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंद्ध विभागों के पदाधिकारियों की समिति गठित किया जाना है। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक चिन्हित् आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन, नक्शा निर्माण, अतिक्रमण से मुक्ति एवं अन्य दावों के निष्पादन किया जाना है। साथ ही प्रत्येक आर्द्रभूमि का संक्षिप्त दस्तावेज (brief document), wetland health card, integrated management plan, wetland mitra एवं boundry map of core and zone of influence को तैयार कर राज्य सरकार के स्तर से अधिसूचित किया जाना है। उपरोक्त वर्णित कार्यों के निष्पादन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	नगर आयुक्त	सदस्य
3.	अपर जिला पदाधिकारी (जिला राजस्व शाखा)	सदस्य
4.	उप–समहर्ता (जिला भूमि अधिग्रहण शाखा)	सदस्य
5.	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
6.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
7.	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य
8.	संबंधित कार्यपालक अभियंता (लघु जल संसाधन)	सदस्य
9.	संबंधित कार्यपालक अभियंता (जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण)	सदस्य
10.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	सदस्य
11.	क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना	सदस्य
12.	जिला पदाधिकारी द्वारा नामित एक आर्द्रभूमि विशेषज्ञ	सदस्य
13.	संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी	सदस्य सचिव

कार्य विवरण :–

जिला स्तरीय समिति जिलान्तर्गत अवस्थित आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु निम्नलिखित कार्य करेगी।

1. जिलान्तर्गत अवस्थित सभी आर्द्रभूमियों के सम्बन्ध में आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

2. जिले में उपलब्ध सभी जल निकायों झील, बील, चौर, मन, ताल, तलैया, पोखर इत्यादि नाम से आर्द्रभूमि क्षेत्रों तथा जलकर क्षेत्रों की सूचनाएँ जो भू–अभिलेखों पर आधारित है तथा परती भूमि पर है, का संकलन किया जाना।
   (i) इन जलीय भूखण्डों का स्वरूप जलीय बनाये रखा जाना सुनिश्चित करना।
   (ii) आर्द्रभूमियों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य के लिए Land filling, स्वामित्व परिवर्तन एवं बन्दोबस्ती नही किया जाना।
   (iii) आर्द्रभूमियों का सीमांकन किया जाना तथा भू–अभिलेखों में इन्हें जल निकायों के नाम पर सरकार के भू–राजस्व खाता में पंजीकृत किया जाना।
   (iv) आर्द्रभूमियों की पैमाइश (सर्वे) करा कर इनका सीमांकन/डिमारकेशन कराया जाना तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण से इन्हें मुक्त कराना।

3. आर्द्रभूमि के अन्दर निम्नलिखित कार्य कलापों को निषिद्ध करना।
   (i) किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन करना।
   (ii) किसी उद्योग को स्थापित करना या विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना।
   (iii) निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंश अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भण्डारण या निपटान, परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले ई–अपशिष्ट।
   (iv) आर्द्रभूमियो में ठोस अपशिष्ट का फेंका जाना :– उद्योगों, शहरों, कस्बों, गॉवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट या बहिस्त्रावों का निस्सारण।
   (v) पिछले दस वर्षो के औसत उच्च बाढ़ स्तर से पचास मीटर के भीतर नाव घाटों को छोड़कर स्थायी प्रकृति का कोई भी निर्माण।
   (vi) अवैध शिकार।

4. आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करना। संक्षिप्त दस्तावेज निम्नलिखित अवयवों के आधार पर तैयार किया जायेगा।

(क) अक्षांतर–देशान्तर सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमियों का सीमांकन।

(ख) आर्द्रभूमियों के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में सांकेतिक उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र।

(ग) पारिस्थितिक चरित्र विवरणी।

(घ) पूर्वतः विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा।

(ङ.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची।

(च) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुमति किये जाने वाले स्थल विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची।

(छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति।

5. जिलास्तरीय समिति उपरोक्त, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए सिफारिश उपलब्ध करायेगी।

6. किसी भी जलीय भूखण्डों की परिधि में विकास कार्यों जैसे–पथ निर्माण एवं भवन निर्माण एवं अन्य किसी भी प्रकार के अवसंरचना निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाय कि भूखण्ड के आगम–निर्गम चैनल को अवरूद्ध या संकुचित नहीं किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/1/2022

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25/01/2022

प्रतिलिपि:–सी०डी० एवं दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/2022

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या०/जल०/परि०–50/2020 (खण्ड–I)–41, पटना–15, दिनांक–25/01/2022

प्रतिलिपि:–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/1/2022

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–......41......., पटना–15, दिनांक–....25..../ 01 / 2022

प्रतिलिपिः–प्राधिकरण एवं तकनीकी समिति / शिकायत समिति / अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–......41......., पटना–15, दिनांक–....25..../ 01 / 2022

प्रतिलिपिः–सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–......41......., पटना–15, दिनांक–....25..../ 01 / 2022

प्रतिलिपिः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार / सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना / सभी वन संरक्षक / सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–पर्या० / जल० / परि०–50 / 2020 (खण्ड–I)–......41......., पटना–15, दिनांक–....25..../ 01 / 2022

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव